

प्रवर्तन नदिशालय

प्रलिस के लयः

प्रवर्तन नदिशक, [सर्वोच्च नयायालय](#), [FATF](#), [धन शोधन](#), [नशीले पदार्थों की तसकरी](#), [भगोडा आर्थिक अपराधी अधनियम](#)

मेन्स के लयः

प्रवर्तन नदिशक, इसके कार्य और संबंघति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने [सर्वोच्च नयायालय](#) को सूचति कयि है क [प्रवर्तन नदिशालय \(ED\)](#) के प्रमुख का कार्यकाल नवंबर 2023 से आगे जारी नहीं रहेगा।

मुद्दा:

- नवंबर 2021 में भारत के [राष्ट्रपति](#) ने दो अध्यादेश जारी कयि थे जसिमें [ED के नदिशक](#) के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने की अनुमति दी गई थी और बताया गया था क इसमें एक वर्ष में तीन बार कार्य अवधि के वसितार की भी संभावना है।
- ED प्रमुख के कार्य अवधि वसितार की अनुमति के इस फैसले को सर्वोच्च नयायालय ने बरकरार रखा है परंतु [केवल दुर्लभ एवं असाधारण मामलों में और वह भी कम अवधि के लयि](#)।
 - सर्वोच्च नयायालय ने कहा क केंद्र सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि से आगे के लयि ED को नयुक्त करने की शक्ति पर कोई प्रतबंध नहीं है। इसके अतरिकित उन्होंने स्पष्ट कयि क [केंद्रीय सत्रकता आयोग अधनियम, 2003](#) की धारा 25 (D) में वाक्यांश "दो वर्ष से कम नहीं" का अर्थ "दो वर्ष से अधिक नहीं" के रूप में नहीं लयि जाना चाहयि।
 - नयायालय ने कहा, "दो वर्ष की अवधि से अधिक की अवधि के लयि प्रवर्तन नदिशक नयुक्त करने में केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई बंधन नहीं है"।
- [वत्तीय कारवाई कार्य बल](#) द्वारा लंबति समीक्षा के लयि सरकार के कार्यकाल के हालयि वसितार को एक कारण के रूप में उद्धृत कयि गया है।
- सरकार द्वारा हाल ही में कार्य अवधि के वसितार के कारण [वत्तीय कारवाई कार्य बल](#) (Financial Action Task Force- FATF) के आसनन मूल्यांकन में देरी हो रही है।
 - केंद्रीय वत्ति मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा क ED के नदिशक के कार्यकाल में वसितार प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक था, जसिमें [संगठन के प्रमुख के कार्यकाल की नरंतरता कई महत्त्वपूर्ण मामलों के लयि आवश्यक है](#)। ये ऐसे मामले हैं जनिके पर्यवेक्षण के लयि मामले की पृष्ठभूमि और ऐतहासकता की जानकारी की आवश्यकता होती है।
 - एक नवनयुक्त नदिशक को नए कार्यालय और ED के कामकाज का जायजा लेने और अभ्यस्त होने में काफी समय लगेगा और दक्षता के इष्टतम स्तर पर काम करना मुश्किल हो सकता है।
- नयायालय द्वारा पूर्व में उचति समझे गए कार्यकाल से परे कार्यकाल का वसितार करने की संवधानकता पर सवाल उठाया गया है, जसिके कारण [सर्वोच्च नयायालय में इस नरिणय](#) को लेकर एक नई अपील की गई है। मामला फलिहाल वचिराधीन है।

प्रवर्तन नदिशालय:

- परचयः**
 - प्रवर्तन नदिशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो [मनी लॉन्ड्रिंग](#) (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और वदिशी मुद्दा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
 - यह वत्ति मंत्रालय के राजस्व वभिग के अधीन कार्य करता है।
 - भारत सरकार की एक प्रमुख वत्तीय जाँच एजेंसी के रूप में ED भारत के संवधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।
- संरचना:**
 - मुख्यालय:** प्रवर्तन नदिशालय (ED) का मुख्यालय नई दल्लि में है, जसिका नेतृत्व प्रवर्तन नदिशक करता है।

- प्रवर्तन के विशेष नदिशकों की अध्यक्षता में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- **भरती:** अधिकारियों की भरती सीधे और अन्य जाँच एजेंसियों के अधिकारियों में से की जाती है।
- इसमें IRS (भारतीय राजस्व सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा) और IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) के अधिकारी शामिल हैं जैसे- आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस।
- **कार्यकाल:** दो वर्ष, लेकिन तीन वर्ष का वसतिार देकर नदिशकों के कार्यकाल को दो से पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment- DSPE Act), 1946** और **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम, 2003** में संशोधन किया गया है ताकि सरकार को दो प्रमुखों को उनके शुरुआती दो वर्ष के शासनादेश के बाद एक अतिरिक्त वर्ष के लिये अपने पदों पर बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया जा सके।

■ कार्य:

- **COFEPOSA:** वदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत इस नदिशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध में **नवितरक नरीध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार** है।
- **वदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा):** यह वदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने तथा भारत में वदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिये लागू किया गया एक नागरिक कानून है।
 - ED को वदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के उल्लंघनों की जाँच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर नरिणय लेने तथा उन पर जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- **धन शोधन नवितरण अधिनियम, 2002 (PMLA):** FATF इंडिया की सफ़ारिशों के बाद PMLA को अधिनियमित किया गया था।
 - ED को अपराध की आय से प्राप्त संपत्तिका पता लगाने के लिये जाँच कर संपत्तिका अनंतिम रूप से कुरक करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा संपत्तिका जब्त सुनिश्चित करने के लिये PMLA के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):** हाल ही में वदेशों में आश्रय लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत सरकार ने **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)** पेश किया और ED को इसके प्रवर्तन का ज़िम्मेदारी सौंपा गया है।
 - यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिये बनाया गया था।
 - इस कानून के तहत ED को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुरक करना अनवितर्य है जो गरिफ़्तारी का वारंट लेकर भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है।

ED से संबंधित मुद्दे:

■ शक्तिका दुरुपयोग:

- ED के पास मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जाँच करने की शक्ति और वविकाधिकार है तथा उन्हें राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- हालाँकि इस शक्तिका दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि भामूली अपराधों को भी PMLA के दायरे में लाया जाने लगा है, जबकि इसका मूल उद्देश्य **नशीले पदार्थों की तस्करी** से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था।

■ पारदर्शिता की कमी:

- ED जाँच के लिये मामलों का चयन कैसे करता है, इस संबंध में भी पारदर्शिता की कमी है और अक्सर इसे वपिक्षी दलों को लक्षित करने के लिये जाना जाता है।
- ED द्वारा दर्ज मामलों में दोषसदिधि की दर बहुत कम है, लेकिन मीडिया ट्रायल के चलते अभयुक्त की प्रतषिठा दोष सदिधि होने पहले ही खराब हो जाती है।
 - वर्ष 2005 से 2013-14 के बीच दोषसदिधि की दर शून्य थी और वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2021-22 के बीच ED द्वारा दर्ज किये गए कुल 888 मामलों में से केवल 23 मामलों में ही दोषसदिधि हो सकी।

■ राजनीतिक पक्षपात:

- कुछ मामलों में ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि सत्ताधारी दल में सम्मलित हो जाने वाले राजनीतिक व्यक्तियों के साथ ED ने अनुकूल व्यवहार किया। कुछ मामलों में इन व्यक्तियों को कथित तौर पर या तो "क्लीन चिट" दे दी गई या ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों में अपनी जाँच प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया।
- इन आरोपों ने ED की कार्यवाहियों में संभावित राजनीतिक पक्षपात और स्वतंत्रता की कमी जैसी चिंताओं को उजागर किया है।

आगे की राह

- प्रवर्तन नदिशक के पास PMLA के तहत व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन राजनीतिक वरिधियों पर इनका इस्तेमाल अव्यावहारिक रूप से नहीं किया जाना चाहिये। जाँच को सज़ा के रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहिये, साथ ही मामलों को तेज़ी से सुलझाया जाना चाहिये ताकि त्वरित परीक्षण एवं दोषसदिधि सुनिश्चित की जा सके।
- भ्रष्टाचार का सामना करने हेतु जाँच में सुधार और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय एवं पारदर्शिता की गारंटी आवश्यक है। प्रवर्तन नदिशक का उद्देश्य समीचीनता तथा नैतिकता के बीच संतुलन बनाना है। इसका समाधान सख्त कार्रवाइयों के बजाय प्रणालीगत समायोजन में समाहित है।
- भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करने हेतु सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीके को बदलना आवश्यक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के परश्न

परश्न. चर्चा कीजयि ककिसि प्रकार उभरती प्रौद्योगकियिँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रगि में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रगि की समस्या से नपिटने के लयि कयि जाने वाले उपायों को वसितार से समझाइये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/enforcement-directorate>

